लय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :—नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

ख्या	दायर दिनांक	निर्णय
5	20.10.2020	30.07.2025

बउनवान

. महेश चन्द पुत्र देवकरण जाति महाजन निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

वादी

बनाम

1. बद्री प्रसाद पुत्र भवानी सहाय जाति महाजन निवासी बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर
2. प्रभू पुत्र चिरंजीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर
03. धर्मचन्द पुत्र देवकरण जाति महाजन निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर
04. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मालाखेडा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 55 पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बन्दोबस्त सम्वत 2020 लगायत 050 मे आराजी गत खसरा नम्बर 282 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 578 कबा 03 बीघा 02 बिस्वा जिसके सम्वत 2051—2070 मे हाल खसरा नम्बर 1116 रकबा .78 हैक्टेयर वाके ग्राम दादर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व ही वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति देवकरण काबिज था, ओर देवकरण के स्वर्गवास के बाद वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज व दाखिल चले आ रहे है। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 282 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा के गैर खातेदारी अधिकार वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति देवकरण को जरिये आवंटन/पट्टा प्राप्त हुऐ है। विवादित आराजी वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के बाहमी घरू बॅटवारा के तहत वादी के

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

कब्जे मे आयी है एवं उक्त बाहमी बॅटवारा अनुसार ही वादी करीब 20–22 साल से आराजी पर तन्हा काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। असल प्रतिवादीगण वादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है। वक्त त सम्वत 2020 बंदोबस्त कर्मचारियान ने खिलाफ कानून, खिलाफ मौका सहवन से त आराजी के राजस्व रिकार्ड मिसल हकीयत सम्वत 2020 के खाता संख्या 152 खसरा 578 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा मे असल प्रतिवादीगण के नाम का अंकन गलत तरीके दिया जबकि असल प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध नही रहा, उनका विवादित आराजी पर कभी कब्जा रहा। बन्दोबस्त कर्मचारियों ने असल दीगण से साजबाज होकर खिलाफ कानून, मौका साबिक राजस्व रिकार्ड म अंकन है जो अंकन ताहाल राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी मे असल प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा है। कर्मचारी बन्दोबस्त को बन्दोबस्त दौरान धारा 183 राजस्थान भू–राजस्व नियम के प्रावधानो के अनुसार साबिक रिकार्ड के अंकन पुनरावृति किया जाना अनिवार्य नवीन अंकन करने का अधिकार नैतिक एवं कानूनी रूप से प्राप्त नही था ओर ना है। लिये विवादित आराजी का बंदोबस्त संवत 2020 से ता हाल राजस्व रिकार्ड का अंकन असल प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा है, वह वादी के अधिकारो के खिलाफ बातिल असर तथा नाकाबिल पाबन्दी है ओर कलमजन किये जाने योग्य है तथा वादी को सालिम दित आराजी का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर ताहाल राजस्व रिकार्ड मे के नाम खातेदारी का अंकन किया जाना न्यायोचित है। दावा वादी बहक वादी विरूद्व ल प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

01. डिक्री इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्व असल प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.78 हैक्टेयर वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा का वादी को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। बन्दोबस्त सम्वत 2020 से ताहाल राजस्व रिकार्ड मे किये गये असल प्रतिवादीगण के अंकन को वादी के अधिकारो के खिलाफ बातिल व बेअसर करार दिया जाकर कलमजन किया जावे।
02. डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व असल प्रतिवादीगण सादिर पारित की जाकर असल प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी के बाबत वादी के कुल कार्य काश्तकारी मे किसी प्रकार की रूकावट व मजामहत न करे। रहन बय नही करे।
03. अन्य उचित आज्ञा न्याय संगत हो बहक वादी विरूद्व असल प्रतिवादीगण सादिर पारित की जावे।
04. खर्चा मुकदमा वादी को असल प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया किन्तु जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त हाजिर अदालत नही होने पर प्रतिवादीगण असल के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। तरतीबी प्रतिवादी पैरोकार ने अपने जवाब मे अंकित किया कि वाद मे वणित विवादित भूमि कस्टोडियन है। वाद मे तनकीयात कायम की गई–

01. आया विवादित 01 लगायत 06

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

ादी वकील ने साक्ष्य के रूप मे महेश चन्द पुत्र स्व0 देवकरण जाति महाजन एवं नील कुमार पुत्र गणपत जाति कोली के शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी ने लिखित बहस पेश की ।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की लिखित बहस पर मनन

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2015–2018 ग्राम दादर रा नम्बर 282 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा पर अलीबक्स वल्द मामला मेव ठेकेदार वा न्दोबस्त काबिज सरकार कस्टोडियन मारफत देवकरण वल्द किशोरीलाल महाजन र्ना पट्टेदार का अंकन है। सम्वत 2015–2018 के दौरान प्रश्नगत आराजी कस्टोडियन र दर्ज रिकार्ड है जिस पर पूर्व मे अलीबक्श वल्द मामला मेव का अंकन है। इसी प्रश्नगत आराजी पर देवकरण को पट्टा कस्टोडियन गैर खातेदार का अंकन है। 2020 मे खसरा नम्बर 578 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा पर देवकरण पुत्र किशोरीलाल, ाद, सरकार कस्टोडियन का अंकन है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2051–2070 ग्राम के खसरा नम्बर 578 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा पर मु. गुलकन्दी बेवा देवकरण, द, महेश चन्द पि. देवकरण हिस्सा 1/3 बद्रीप्रसाद पुत्र भवानी सहाय, प्रभू चिरन्जी 2/3 पट्टेदार गैर खातेदार कस्टोडियन सरकार का अंकन है। उपरोक्त दस्तावेजात वलोकन से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि विवादित आराजी सम्वत 2015–2018 से न कस्टोडियन की आराजी है। वादी ने विवादित आराजी पर पट्टेदार गैर खातेदार के पर खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। निष्क्रान्त भूमि पर गैर खातेदारी से दारी अधिकार दिये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियो का स्थायी टन) नियम 1963 के अन्तर्गत आवेदन करने पर ही वादी अनतोष प्राप्त कर सकता है। ही ग्राम दादर नगर विकास न्यास की सीमा मे होने के कारण मौजूदा वाद इस ालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी क्षेत्राधिकार से बाहर होने पर श्रवण योग्य नही होने के ण खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनाक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0